बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका-सं०-स०क०निग०-43/2021-......3632....../ श्रीमती रश्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोहड़ा अतिरिक्त प्रभार अतरी एवं नीमचक बथानी, गया सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-576 दिनांक-24.03.2021 एवं निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2560 दिनांक-15.04.2021 द्वारा अलग-अलग दो आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। प्रथम आरोप पत्र में उनके विरुद्ध भाड़े की वाहन लेने में सरकारी प्रावधानों की अनदेखी करने, लॉगबुक संधारण में मीटर रिंडिंग नहीं भरने, गया में पदस्थापित होने के दौरान तीनों परियोजनाओं के कार्यों का निष्पादन दिखाकर केवल खानापूर्ति करने एवं दिनांक-31.01.2015 को भुगतान के संबंध में एकरारनामा दिनांक-03.02.2015 को करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया तथा द्वितीय आरोप पत्र में इनके विरुद्ध बाल विकास परियोजना कार्यालय मोहड़ा द्वारा चयनित वाहन के लॉगबुक में इनिशियल एवं फाईनल रिंडिंग अंकित नहीं किये जाने से इन मदों में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक उपलब्ध करायी गई कुल 6,25,000/- रुपये के अपव्यय की वित्तीय अनियमितता करने एवं निम्न गुणवत्ता के सामग्री के क्रय मद में बाल विकास परियोजना कार्यालय, मोहडा अतरी एवं नीमचक बथानी को मिलाकर कुल राशि 8,72,700/- रुपये की राशि के अपव्यय की वित्तीय अनियमितता करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त दोनो प्रपत्र- 'क' के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-1818 दिनांक-05.04.2021, पत्रांक-1979 दिनांक-27.04.2021 एवं पत्रांक-2122 दिनांक 31.05.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक-शून्य दिनांक 17.05.2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3292 दिनांक-12.08.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) (5) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्रीमती कुमारी के विरुद्ध उक्त आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जिसमें श्री विरेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री उदय प्रकाश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-383 दिनांक-27.01.2022 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमे आरोप संख्या-01 एवं 03 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02 को प्रमाणित पाया गया।

प्रमाणित तथा आंशिक प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-452 दिनांक-31.01.2022 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-शून्य दिनांक-28.02.2022, पत्रांक-शून्य दिनांक-12.03.2024, पत्रांक-शून्य दिनांक-13.06.2025 एवं दिनांक-23.06.2025 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी का यह कहना कि प्राप्त आवंटन अन्तर्गत विभागीय कार्यों के संपादन हेतु वाहन मालिक द्वारा पूराना वाहन उपलब्ध कराया गया था जिसका माइलो मीटर प्रायः खराब ही रहता था। वाहन मालिक को बार-बार कहने के बावजूद भी उनके द्वारा खराब माईलो मीटर को ठीक नहीं कराया गया। विभिन्न प्रकार के विभागीय कार्यों के संपादन के लिए वाहन रखना भी आवश्यक था। पूर्व के अवधि दिनांक-31.01.2015 का भुगतान किये जाने के संबंध में संचालन पदाधिकारी का कथन है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है वह पठनीय नहीं है।

इस संबंध में पूर्व के पदाधिकारी के द्वारा पारित अभिश्रव की राशि का ही भुगतान संबंधित वाहन मालिक को उनके खाता के माध्यम से भुगतान किया गया है। लगातार तीन वर्षो तक माईलो मीटर खराब गाड़ी का उपयोग करना एवं कोई आपत्ति नहीं उठाना लापरवाही है तथा स्वीकार योग्य नहीं है साथ हीं निम्न गुणवत्ता के सामग्री के क्रय मद में बाल विकास परियोजना कार्यालय, मोहडा अतरी एवं नीमचक बथानी में वित्तीय अनियमितता आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। अतएव उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती रश्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोहड़ा अतिरिक्त प्रभार अतरी एवं नीमचक बथानी, गया सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)

नियमावली-2005 के नियम-14(i) एवं (v) के तहत निंदन एवं तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्रीमती रश्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोहड़ा अतिरिक्त प्रभार अतरी एवं नीमचक बथानी, गया सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(i) एवं (v) के तहत निंदन एवं तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/7/26

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-स०क०निग०-43/2021- 3632 पटना-15 दिनांक :- 9.7.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/7/26
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-स०क०निग०-43/2021- 3632 पटना-15 दिनांक :- 9.7.2026

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त मुंगेर/मगध/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी/ बेगूसराय/ गया/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय/गया/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती रश्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोहड़ा अतिरिक्त प्रभार अतरी एवं नीमचक बथानी, गया सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/26
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।